झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
रिट याचिका (सिविल) संख्या 6938/2017

1. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पूर्व मध्य क्षेत्र, जीवन दीप भवन, डाकघर जी.पी.ओ, थाना: गांधी मैदान, शहर और जिलाः पटना, राज्यः बिहार
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री अलंकार परिसर, हाजीपुर शाखा, गुदारी बाजार, डाकघर एवं थाना: हाजीपुर, जिलाः वैशाली, राज्यः बिहार
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, डांगरा टोली चौक, पुरुलिया रोड, डाकघर एवं थाना -सदर रांची, जिलाः रांची, राज्यः झारखंड

सभी का प्रतिनिधित्व श्री झदेश्वर माझी, पिता बलराम माझी, जो वर्तमान में प्रबंधक (कानूनी और आवास संपत्ति विभाग), भारतीय जीवन बीमा निगम, जमशेदपुर मंडल, बिस्टुपुर मेन रोड, डाकघर एवं थाना: बिस्टुपुर, शहरः जमशेदपुर, राज्यः झारखंड के रूप में कार्यरत हैं, के माध्यम से किया जाता है

... विरोधी पक्ष याचिकाकर्ता

बनाम

सीता देवी, पति स्वर्गीय गिरधर पांडेय , हरि नगर, (राज स्टोर), डाकघर एवं थाना: टाटिसिलवाई, शहर और जिलाः रांची, राज्यः झारखंड

... दावेदार-उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिएः श्री सचिन कुमार, अधिवक्ता
सुश्री सुरभि, अधिवक्ता
सुश्री श्वेता शुक्ला, अधिवक्ता
उत्तरदाता के लिए: कोई नहीं

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता को सुना लेकिन बार-बार बुलावा भेजने के बावजूद एकमात्र प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं आया

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें पी. एल. ए. मामले संख्या 241/2013 में विद्वान स्थायी लोक अदालत, रांची द्वारा पारित दिनांक 06.05.2017 (अनुलग्नक 6) को रद्द करने और रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी करने का अनुरोध किया गया है जिसके द्वारा और जहां डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 6938/ 2017 के तहत दावेदार द्वारा दायर दावा याचिका को अनुमति दे दी गई है और प्रदर्शनी ए में अस्वीकृति पत्र को भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ 2,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए आगे के निर्देश के साथ अलग रखा गया है, दावेदार को मामला दर्ज करने की तारीख से यानी 15.05.2013 भुगतान तक, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक 6 में रखी गई है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक गिरधर पांडेय ने भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी नं. 537424569 जिसमें बीमित राशि रु। 2,00,000 थी |गिरधर पांडेय अपने

जीवनकाल में झारखंड राज्य पुलिस सेवा में सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। पॉलिसी का नाम जीवन आनंद था जिसमें लाभ (दुर्घटना लाभ के साथ) था। यह पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम की हाजीपुर शाखा से ली गई थी और पॉलिसी का एकमात्र पहला और अंतिम प्रीमियम 17.05.2008 को किया गया था। 04.01.2009 को, बीमित व्यक्ति को दुमका के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे रिम्स, रांची रेफर किया गया और उसे वहाँ 06.01.2009 को भर्ती किया गया और चिकित्सा उपचार के दौरान 09.01.2009 को उसकी मृत्यु हो गई। दावेदार उसकी पत्नी होने के नाते गिरधर पांडेय के अस्पताल में उपचार के प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए एक दावा प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के पृष्ठ 30-33 पर रखी गई है, जो सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, रिम्स रांची द्वारा दिनांकित प्रमाण पत्र है, जिसमें से पैरा 5 में, डॉक्टर द्वारा इस सवाल के जवाब में उल्लेख किया गया है, *"रोगी द्वारा उसके प्रवेश के समय सटीक इतिहास क्या बताया गया था?"* - "कमजोरी और चलने में असमर्थता – 3 से 4 दिन, एक वर्ष से मूत्र का रिसाव और पांच वर्षों से मधुमेह, और यह बात अस्पताल के उपचार के प्रमाण पत्र के पैरा 7 में भी उल्लेखित है। पॉलिसी प्राप्त करने के लिए घोषणा पत्र में, गिर्धर पांडेय ने अपनी बीमारी के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया, हालाँकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह पिछले पांच वर्षों से मधुमेह से ग्रसित है और पिछले एक वर्ष से मूत्र-रिसाव से ग्रसित है। उसने पॉलिसी के प्रस्ताव पत्र में अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में झूठा बयान दिया और इसी आधार पर, भारतीय जीवन बिमा निगम ने दावेदार के दावे को खारिज कर दिया।" "दावेदार ने रांची में स्थायी लोक अदालत का रुख किया और इसका विरोध रिट याचिकाकर्ता जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी थे द्वारा किया गया, जिन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्ताव पत्र के कॉलम संख्या 11 में, उक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए, यकृत, पेट, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियों और मधुमेह, टी. बी., उच्च बी. पी., निम्न बी. पी., कैंसर, मिर्गी हर्निया, हाइड्रोसिल या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होने के संबंध में पिछले पांच वर्षों से चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श के संबंध में जीवन बीमाकृत ने नकारात्मक उत्तर दिया।स्थायी लोक अदालत के समक्ष सुलह की कार्यवाही विफल हो गई और स्थायी लोक अदालत ने पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लिया। पक्षकारों की दलीलों के आधार पर स्थायी लोक अदालत ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित छह बिंदुओं को तैयार किया:

(I) क्या तत्काल तैयार किया गया मामला कायम रखने योग्य है?
(II) क्या दावेदार के पास मामले के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण है?
(III) क्या पी. एल. ए. रांची के पास तत्काल दावे के मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है?
(IV) क्या ओ. पी. द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार जीवन बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उसके स्वास्थ्य से संबंधित भौतिक तथ्यों को छिपाया गया था?
V) "क्या एक्सट्रेक्ट A, यानी कि पॉलिसी संख्या 537424569 के संदर्भ संख्या पीडीओ /आरइपीडी.क्लेम/एपीके दिनांक 27/02/2012 द्वारा दावे के खारिज करने का निर्णय, जो कि स्व. गिर्धर पांडेय के पक्ष में है, 200000/- रुपये की राशि सुनिश्चित करता है, उचित है?"
VI) क्या दावेदार राहत या राहत प्राप्त करने का हकदार है जैसा कि प्रार्थना की गई है?

4. "अपने दावे के समर्थन में, दावेदारों ने दो गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से एक गवाह का परीक्षण किया गया। दावेदारों ने मौखिक गवाही और अन्य दस्तावेजों के अलावा, RIMS, रांची द्वारा जारी अस्पताल के उपचार की फोटो कॉपियां भी प्रस्तुत कीं, जिसे साक्ष्य 3 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के पृष्ठ 30-33 पर रखी गई है।"

5. स्थायी लोक अदालत ने पहले विचार के लिए निर्धारण संख्या III को उठाया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2012 (117) एआई.सी13 (एस.सी) में रिपोर्ट किया गया था, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VIA की धारा 22 C-(8) के

तहत, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विपरीत पक्षों की सहमति के बिना भी, यह सुलह की विफलता पर विवाद का निर्णय कर सकता है।

6. फिर, स्थायी लोक अदालत ने निर्धारण संख्या IV को उठाया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि एस.पी. दुमका द्वारा जारी नियोक्ता का प्रमाणपत्र और गिर्धर पांडेय द्वारा ली गई छुट्टी का विवरण, जो क्रमशः प्रदर्शित 4 और 5 के रूप में चिह्नित किया गया है, यह दर्शाता है कि गिरधर पांडेय ने अपनी बीमारी के लिए एक महत्वपूर्ण समय अवधि के लिए कोई छुट्टी नहीं ली। इसलिए, यह उनके पिछले रोगों के तथ्य को दरकिनार करता है, जैसा कि प्रदर्शित 03 में उल्लेखित है, जो रिम्स, रांची द्वारा जारी अस्पताल का प्रमाणपत्र है। इसके अलावा, प्रदर्शित 2 पर विचार किया गया, जो रिम्स रांची द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र है, जिसमें मृत्यु का कारण 'कार्डियो वास्कुलर फेल्योर' के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसका मधुमेह और मूत्र-संचरण पर कोई प्रभाव नहीं है। और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मृतक जीवन बीमाकर्ता ने नीति प्राप्त करते समय अपनी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं था और भारतीय जीवन बिमा निगम ने नीति के खंडन में गलती की जब उन्होंने गिरधर पांडेय के नाम पर अन्य नीति संख्या 554402374 के संबंध में दावेदार को 57,000/- रुपये का भुगतान किया और निर्धारण संख्या IV के बिंदु को नकारात्मक रूप से तय किया।

7. स्थायी लोक अदालत ने अगला निर्धारण संख्या V को उठाया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दावे का खंडन उचित नहीं है। अंत में, उसने निर्धारण संख्या I, II और VI को एक साथ उठाया और अन्य निर्धारण बिंदुओं के निष्कर्षों के आधार पर, यह निर्णय लिया कि मामला जैसा प्रस्तुत किया गया है, वह बनाए रखने योग्य है, और दावेदारों के पास मामले के लिए वैध कारण है और वे मांगे गए राहत के लिए पात्र हैं। अदालत ने दावेदारों को 2,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, ब्याज के साथ, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमा का अनुबंध *उबररिमा के सिद्धांत* पर आधारित है अर्थात पूर्ण सद्भावना इसलिए, प्रस्तावित जीवन प्रस्ताव प्रपत्र में सही और सही तथ्यों का खुलासा करने के लिए आवश्यक है, जो बीमा अनुबंध का एकमात्र आधार है। फिर प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में भी, LIC ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पत्र में जीवन प्रस्तावित द्वारा किए गए बयानों और उनके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पर विश्वास किया और जीवन प्रस्तावित के नाम पर नीति संख्या 537424569 जारी की। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि जीवन बीमित व्यक्ति पिछले पांच वर्षों से मधुमेह से पीड़ित था और उसकी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व से उसे मूत्र-रिसाव की समस्या थी, और यह इतिहास स्वयं रोगी द्वारा डॉक्टर, रिम्स, रांची को वहां भर्ती के समय बताया गया था, जैसा कि एक्सट्रैक्ट 3 में स्पष्ट है, जो रिम्स, रांची के चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर द्वारा जारी अस्पताल उपचार का प्रमाण पत्र है। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद, स्थायी लोक अदालत ने मनमाने तरीके से एक आदेश पारित करके अवैधता की है, जो कानून में स्थायी नहीं है।

9. शाखा प्रबंधक, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम दलबीर कौर **(2021) 13** एस. सी. सी. **553,** पैरा **7** और **12** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, जो निम्नानुसार हैः

> *"7. बीमा का अनुबंध अत्यधिक सद्भावना का होता है। एक प्रस्तावक जो जीवन बीमा की पॉलिसी प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट के लिए कर्तव्यबद्ध है जो इस मुद्दे पर प्रभाव डालते हैं कि क्या बीमाकर्ता प्रस्तावित जोखिम को स्वीकार करना उचित समझेगा। इसी*

सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव पत्र में पूर्व-विद्यमान बीमारियों के एक विशिष्ट प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है, ताकि बीमाकर्ता बीमाकृत जोखिम के आधार पर एक विचारशील निर्णय पर पहुँच सके।" वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने संकेत दिया है, प्रस्तावक रक्त की उल्टी का खुलासा करने में विफल रहा जो बीमा पॉलिसी जारी होने से बमुश्किल एक महीने पहले हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। बीमाकर्ता द्वारा की गई जांच से पता चला कि बीमित व्यक्ति एक पूर्व-विद्यमान बीमारी से पीड़ित था, जो शराब के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप थी, और यह तथ्य जो प्रस्तावक के ज्ञान में थे, उन्हें प्रकट नहीं किया गया था। यह इस अदालत द्वारा पूर्व में किए गए निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के तहत खंडन के लिए आधार प्रदान करता है।

12. जाँच के दौरान प्राप्त किए गए चिकित्सा अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मृतक पूर्व-विद्यमान गंभीर चिकित्सा स्थिति से पीड़ित था जिसका बीमाकर्ता को खुलासा नहीं किया गया था।वास्तव में, मृतक को अपनी स्थिति के उपचार के लिए उसकी मृत्यु की तारीख के निकट अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसे प्रस्तावक द्वारा किसी भी बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने या उपचार से संबंधित विशेष प्रश्नों के बावजूद प्रकट नहीं किया गया, जो पॉलिसी प्रस्ताव पत्र के कॉलम 22 में पूछे गए थे।इसलिए, हम इस विचार में हैं कि वर्तमान मामले में एनसीडीआरसी का निर्णय [बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दलबीर कौर, 2020 एससीसी ऑनलाइन एनसीडीआरसी463] कानून के सही सिद्धांत को स्थापित नहीं करता है और इसे रद्द करना होगा। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।"

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रस्ताव पत्र में मांगी गई संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो बीमा दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता एआईआर **1962** एससी **814**, में रिपोर्ट किए गए मिथूलाल नायक बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें पैरा 8 और 9 निम्नलिखित हैः

"8. धारा 45 के दूसरे भाग के आवेदन के लिए तीन शर्तें हैं-

(a) बयान किसी महत्वपूर्ण विषय पर होना चाहिए या ऐसे तथ्यों को छुपाना चाहिए जिन्हें प्रकट करना महत्वपूर्ण था;
(b) छुपाना बीमा धारक द्वारा धोखाधड़ी से किया गया होना चाहिए; और
(c) बीमा धारक को बयान करते समय यह पता होना चाहिए कि यह झूठा था या कि इसने ऐसे तथ्यों को छुपाया जो प्रकट करना महत्वपूर्ण था।"

X X X X X X X X

……दूसरे शब्दों में, महाजन देओलाल द्वारा धोखाधड़ी से जानबूझकर दमन किया गया था।भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (IX of 1872) की धारा 17 के अनुसार, धोखाधड़ी का अर्थ है, मतलब और शामिल अन्य बातों के साथ निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को शामिल किया गया है जो एक अनुबंध

के पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धोखा देने या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया हो।
(1) एक तथ्य के बारे में ऐसा सुझाव देना, जो सत्य नहीं है, उस व्यक्ति द्वारा जो इसे सत्य मानता नहीं है; और
(2) उस तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाना, जिसके बारे में व्यक्ति को ज्ञान या विश्वास हो

धारा 17 में निर्धारित मानकों के आधार पर, महाजन देओलाल स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों के धोखाधड़ीपूर्ण दमन के दोषी थे, जब उन्होंने 16 जुलाई, 1944 को अपने बयान दिए, जो उसे निश्चित रूप से पता होना चाहिए था कि वे जानबूझकर झूठे थे। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के साथ सहमत हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के खिलाफ दिया जाए।

9. हम यहाँ तीसरे प्रश्न का निपटारा कर सकते हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया है कि महाजन देओलाल की जाँच प्रतिवादी कंपनी के निर्देश पर चार डॉक्टरों, डॉ. देसाई, डॉ. कपाडिया, डॉ. बेलापुरकर और डॉ. क्लार्क द्वारा की गई थी।यह आगे बताया गया है कि महाजन देवीलाल ने सही ढंग से खुलासा किया था कि वह पहले मलेरिया, निमोनिया और हैजा से पीड़ित रह चुका है। यह भी बताया गया है कि डॉ . कपाड़िया को विशेष रूप से महाजन देवीलाल की जांच करने के लिए कहा गया था, क्योंकि डॉदेसाई द्वारा पहले प्रस्त .ुत किए गए रिपोर्टों में विरोधाभास था।इन तथ्यों के आधार पर, तर्क यह है कि प्रतिवादी कंपनी को महाजन देवीलाल की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित सभी तथ्यों का पूर्ण ज्ञान था और पूर्ण तथ्यों के ज्ञान के साथ, प्रतिवादी कंपनी के लिए यह उचित नहीं था कि वह प्रस्ताव पत्र और व्यक्तिगत बयान में महाजन देओलाल द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर पॉलिसी को चुनौती दे, भले ही वे उत्तर गलत थे। याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या का उल्लेख किया है। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। यह सच है कि महाजन देवीलाल की जांच चार डॉक्टरों द्वारा की गई थी। यह भी सच है कि प्रतिवादी कंपनी के पास डॉ . कपाड़िया से .देसाई की विरोधाभासी रिपोर्टें थीं और उसने विशेष रूप से डॉ महाजन देवीलाल की जांच करने के लिए कहा था, जो डॉदेसाई द् .वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संदर्भ में था। फिर भी, यह बताना आवश्यक है कि प्रतिवादी कंपनी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि महाजन देवलाल को सितंबर-अक्टूबर 1943 में डॉ. लक्ष्मण द्वारा गंभीर बीमारी जैसे द्वितीयक एनीमिया और ह्रदय का फैलाव आदि के लिए उपचार किया गया था। न ही यह कहा जा सकता है कि यदि प्रतिवादी कंपनी को उन तथ्यों का ज्ञान होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुबंध अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या के पीछे का सिद्धांत यह है कि एक झूठा प्रतिनिधित्व, चाहे वह धोखाधड़ीपूर्ण हो या निर्दोष, अप्रासंगिक है यदि इसने उस पक्ष को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं किया है जिसके लिए इसे बनाया गया है। हमें नहीं लगता कि यह सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होता है। पॉलिसी की शर्तें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि प्रस्ताव पत्र और व्यक्तिगत बयान में बीमित व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में किए गए कथन पक्षों के बीच अनुबंध का आधार थे, और यह तथ्य कि महाजन देवीलाल ने केवल कुछ महीने पहले डॉ. लक्ष्मणन द्वारा गंभीर

बीमारी के लिए उपचार प्राप्त करने को छिपाने या गलत साबित करने में मेहनत की, यह दर्शाता है कि इस छिपाने या गलत साबित करने का अन्य पक्ष की सहमति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से कार्य करता है, वह बाद में मुड़कर यह नहीं कह सकता: "यदि आप सत्य जानते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।" हमारे विचार में, इस मामले की परिस्थितियों में माफी का कोई प्रश्न नहीं उठता, न ही याचिकाकर्ता भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या का लाभ उठा सकता है।

और यह प्रस्तुत करता है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के संदर्भ में, जैसा कि इसके संशोधन से पहले था, प्रस्तावक द्वारा पॉलिसी लेने से पहले गंभीर बीमारी के लिए डॉक्टर द्वारा उपचार किए जाने के तथ्य को जानबूझकर छिपाना, ऐसी पॉलिसी को दोषपूर्ण बनाता है।

11. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता ने माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठोड़ मामले के संदर्भ में है, जिसे **(2019) 6** एससीसी **175** में रिपोर्ट किया गया है, जिसका पैरा 36 इस प्रकार है:

36. अंत में, प्रत्यर्थी का यह तर्क कि बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रपत्र पर विवरण की व्याख्या किए बिना लिए गए थे,स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का एक समान तर्क मैसूर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने वी.के. श्रीनिवास सेट्टी बनाम प्रीमियर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [वी.के. श्रीनिवास सेट्टी बनाम प्रीमियर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1957 एससीसी ऑनलाइन कर 27: एआइआर 1958 मैसूर 53] (एससीसी ऑनलाइन कर पैरा 80-81) मामले में सही ढंग से खारिज किया गया था, जहां यह कहा गया:

"80. अब यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो एक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करता है जिसमें एक कथन है जिसमें एक कथन है जो सच नहीं है, वह आम तौर पर इस से उत्पन्न होने वाले परिणाम से बच नहीं सकता है कि उसने इस तरह के कथन वाले प्रस्ताव पर बिना इसे पढ़े या समझे हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना है।

81. यदि एक एजेंट फिर भी ऐसा करता है, तो वह केवल बीमित का सहायक बन जाता है, और प्रस्ताव पत्र में शामिल किसी भी बयान की असत्यता या अशुद्धता का उसका ज्ञान बीमा कंपनी का ज्ञान नहीं बनता। इसके अलावा, किसी भी आरोपित ज्ञान के प्रश्न के अलावा, बीमित उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उन उत्तरों को अपनाता है और उन्हें अपना बना लेता है, और यह स्पष्ट रूप से सही होगा, चाहे बीमित ने प्रस्ताव पर बिना पढ़े या समझे हस्ताक्षर किया हो। यह विचार करना अप्रासंगिक है कि अशुद्धता कैसे उत्पन्न हुई यदि उसने इस मामले में वादी की तरह यह अनुबंध किया है कि उसके लिखित उत्तर सटीक होंगे।"

और यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक व्यक्ति जो एक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करता है जिसमें एक ऐसा बयान है जो सत्य नहीं है, वह सामान्यतः इसके परिणामों से बच नहीं सकता है यह कहते हुए कि उसने उस प्रस्ताव पर बिना उसे पढ़े या समझे हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया जिसमें ऐसा बयान था और यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी लोक

अदालत ने उक्त निर्णय पारित करते समय गंभीर अवैधता की है, इसलिए इसे निरस्त और रद्द किया जाए।

12. मामले में सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, दावेदारों के स्वयं के दस्तावेज़ से, अर्थात् एक्स्ट. 3, जो रांची के रिम्स के सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग के हस्ताक्षर से जारी अस्पताल उपचार प्रमाण पत्र की प्रति है, यह दिखाता है कि अविवादित तथ्य यह है कि मृतक गिरधर पांडेय को अपनी मृत्यु से पांच वर्ष पहले से मधुमेह और एक वर्ष पहले से मूत्र-संचरण से पीड़ित था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब वह प्रश्नगत पॉलिसी के लिए प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था, तब वह जानता था कि वह मधुमेह और मूत्र-संचरण से पीड़ित है, लेकिन फिर भी अविवादित तथ्य यह है कि प्रस्ताव पत्र के कॉलम 11 में, उसने स्पष्ट रूप से अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि वह मधुमेह से पीड़ित नहीं है और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना है, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस कं. लि. बनाम रतन लाल और अन्य**,** एआइआर **1959** पटना **413** में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने माना है, जिसके पैरा 5 में यह पढ़ा जाता है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना बीमारी को छिपाने के समान है:

> *"5. बीमा के क्षेत्र में स्थापित कानून यह है कि बीमा के अनुबंध, जिसमें जीवन बीमा के अनुबंध शामिल हैं, उबेरिमा फ़ाइडेस(पूर्ण विश्वास) के अनुबंध होते हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुबंध रद्द करने का उचित आधार होता है। और यह खुलासा करने की जिम्मेदारी अनुबंध की समाप्ति तक जारी रहती है और प्रस्ताव और स्वीकृति के बीच जोखिम के चरित्र में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को कवर करती है।*

ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि स्थायी लोक अदालत ने रद्दीकरण पत्र को निरस्त करके गंभीर अवैधता की है, जो कि याचिका दाता द्वारा जारी किया गया था और आगे भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹2,00,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम एक कॉर्पोरेट निकाय होने के नाते, स्थायी लोक अदालत के समक्ष विवाद का पक्षकार भी नहीं था, बल्कि केवल विभिन्न अधिकारी ही पक्षकार थे। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया का यह मौलिक सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय किसी अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्रक्रिया का पक्षकार नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

14. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि स्थायी लोक अदालत ने प्रदर्शित 3 में उल्लिखित तथ्य को नजरअंदाज करके गंभीर अवैधता की है, अर्थात् रांची के आरआईएमएस द्वारा जारी अस्पताल उपचार प्रमाण पत्र के आधार पर कि मृतक ने बीमारी के कारण अपनी सेवा से कोई अवकाश नहीं लिया। क्योंकि जब यह अविवादित तथ्य था कि दस्तावेजों के आधार पर मृतक अपनी मृत्यु से पांच वर्ष पहले से मधुमेह से पीड़ित था और अपनी मृत्यु से एक वर्ष पहले से मूत्र-संचरण समस्या से ग्रस्त था, तो केवल इस कारण कि उसने कोई अवकाश नहीं लिया, यह तथ्य मिटा नहीं जाएगा कि वह मधुमेह और मूत्र-संचरण से पीड़ित था। इसी कारण से, याचिकाकर्ता का यह दावा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने गिरधर पांडेय के नाम पर एक अन्य पॉलिसी का भुगतान किया, बिना संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, निश्चित रूप से यह एक कानूनी और वैध कारण नहीं है कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज करे कि मृतक ने बीमा पॉलिसी प्राप्त करते समय मधुमेह और बीमारी को बीमा कंपनी से छिपाया।

15. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की गंभीर राय है कि यह एक ऐसा मामला है जहां

एक उत्प्रेषण का उपयोग करके स्थायी लोक अदालत, रांची द्वारा पीएलए केस नंबर 241/2013 में दिनांक 06.05.2017 को पारित निर्णय (अनुलग्नक 6) को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

16. अतः, दिनांक 06.05.2017 को स्थायी लोक अदालत, रांची द्वारा पीएलए केस नंबर 241 of 2013 में पारित निर्णय (अनुलग्नक 6) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण का एक आदेश जारी किया जाए।

17. इस रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 16 जनवरी 2024
स्मिता/ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|